

उत्प्रेषण की तबदी हेतु न्यायालय में  
अर्ज अर्ज दिया जाता है पतावली  
कले तबदी दिनांक 22/9/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)

~~पतावली पत्र डिके वार्ड अग्रिम उप  
आप सपर माघ वार्ड अग्रिम के प्रतिपक्ष की  
कले हेतु अर्ज से अर्ज अर्ज के पत्र को  
पतावली पत्र दिनांक 12/11/21 को पेश हो~~

उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)

~~पतावली पत्र डिके वार्ड अग्रिम उप  
आज अन्य प्रशासनिक कार्य  
में व्यस्त होने के कारण मिसल दिनांक 29/12/21 को  
वास्तविक पत्र को~~

आदेशानुसार

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)

29/12/21

~~पतावली पत्र डिके वार्ड अग्रिम उप  
आप सपर माघ वार्ड अग्रिम के प्रतिपक्ष की  
कले हेतु दिनांक 14/9/20 से निरंतर  
निर्देश करने के बावजूद आप किस तरह  
तबदी पूर्ण नहीं कराये जाने के बावजूद  
बाद आप पतावली आदेश 9 नियम 5 के  
तहत करीब किया जाताने पतावली के तहत  
रुमाज के तहत तबदी से तबदी~~

उपखण्ड अधिकारी  
पुष्कर (अजमेर)

